तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16/9/19	पत्रावली पेश हुई RO सा. अन्य कार्य में व्यस्त होने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/9/19 को पेश हो	
20/9/19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित बहस उभयपक्ष की सुनी गई। वास्ते निर्णय दि. 25/9/19 को पेश हो।	
25/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। कार्य व्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखाया गया। पत्रावली आईन्दा वास्ते आदेश 27/9/19 को पेश हो।	
27/9/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी द्वारा पेश किया गया दावा अन्तर्गत धारा 88 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰

वाद संख्या 29/2019

रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल जी जाति रेगर उम्र 43 वर्ष पेशा नौकरी निवासी श्रीनगर तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ राज0 ------ वादी

बनाम

1- लीलाबाई पिता कन्हैयालाल जी रेगर निवासी श्रीनगर हाल पत्नी जगदीशचन्द्र जी रेगर निवासी सवाईपुर तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2- पुष्पा पिता कन्हैयालाल जी रेगर निवासी श्रीनगर हाल पत्नी भैरूलाल जी रेगर निवासी फतहनगर तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा
3- लालीबाई पिता कन्हैयालालजी रेगर निवासी श्रीनगर हाल पत्नी रामचन्द्र जी रेगर निवासी काछोला तहसील मांडलगढ जिला भीलवाडा राज0
4- मगनीबाई पत्नी कन्हैयालाल जी रेगर निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
5- राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जी चित्तौडगढ
6- तहसीलदार साहब भूमिधारी जी तहसील कार्यालय बेगूं

----- प्रतिवादीगण

उपस्थित : के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी
विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4

निर्णय दिनांक : 27.09.2019

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निम्ननिखित अनुसार प्रस्तुत किया है :-

1- यह कि ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का ठुकराई तहसील बेगूं की वर्तमान आराजी संख्या 1629/2 रकबा 2.185 हैक्टर (13 बीघा 10 बिश्वा) भूमि वादी के कब्जे काश्त एवं वादी व प्रतिवादी सं0 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित स्थित हैं ।

2- यह कि उक्त ग्राम श्रीनगर की आराजी संख्या 1629/2 रकबा 13 बीघा 10 बिश्वा भूमि वादी के दादा (पिता के पिता) श्री धूला पिता ऊंकार जी रेगर निवासी श्रीनगर के नाम आवंटित हौ उनकी स्वअर्जित थी जो उनकी विरासत से वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पिता व 4 के पति कन्हैयालाल पिता धूला जी रेगर सा0 श्रीनगर के नाम दर्ज रेकार्ड हुई ।

3- यह कि उक्त कलम सं0 1 में वर्णित आराजी स्व0 धूला जी की स्वअर्जित सम्पत्ति होकर स्व0 धूला जी ने अपनी जिवितावस्था में पूर्ण हौश हवाश में दिनांक 15/6/1980 को वादी के पक्ष में एक वसियतपत्र उनकी मृत्यु पश्चात उक्त आराजी का मालिक स्वामी खातेदार एकमात्र वादी (उनके पौत्र) के होने बाबत निष्पादित कर उपस्थित साक्षियों की साक्षी करवा अपने हस्ताक्षर किये । यह वसियपत्र पूर्ण रूप से वैध एवं अंतिम होकर प्रभाव में हैं ।

4- यह कि ग्राम श्रीनगर की उक्त आराजी संख्या 1629/2 रकबा 13 बीघा 10 बिश्वा भूमि का धूला जी की मृत्यु के तुरंत पश्चात उक्त वसियत के आधार पर वादी मालिक स्वामी काश्तकार खातेदार बना एवं बहैसियत मालिक स्वामी उक्त भूमि पर अकेला काबिज हौ काश्त कर रहा है ।

5- यह कि उक्त वसियतपत्र दिनांक 15/6/1980 स्व0 धूला जी की वैध एवं अंतिम वसियत थी एवं इस वसियत अनुसार धूला जी ने वादी के पिता कन्हैयालाल जी जो उनके पुत्र थे को

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

उक्त भूमि से महरूम करते हुए अकेले वादी को उक्त भूमि का मालिक स्वामी काश्तकार खातेदार बनने की ईच्छा प्रकट की हैं, चूंकि स्व0 धूला जी की मृत्यु के समय वादी नाबालिग था एवं यह दस्तावेज वसियतपत्र वादी के पिता मृतक कन्हैयालाल जी के पास होने से उन्होने इस दस्तावेज को छिपा कर भूमि का विरासत नामान्तरण अपने पक्ष में करा लिया जो कन्हैयालाल जी की मृत्यु पश्चात वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 के नाम दर्ज रेकार्ड हुई ।

उक्त वसियत के पूर्ण वैध एवं प्रभाव में रहते धूला जी एवं कन्हैयालाल जी के विरासत की नामान्तरण कार्यवाहियां, वादी को धूला जी की वसियत से मिलने वाले अधिकारो के मुकाबले अवैध एवं प्रभाव शुन्य है ।

6- यह कि करीबन 1 वर्ष पूर्व वादी के पिता कन्हैयालाल जी की मृत्यु उपरांत उक्त दस्तावेज वसियतपत्र जब वादी को प्राप्त हुआ तब वादी को वसियत के प्रभाव में होने एवं विरासत नामान्तरण की कार्यवाहियॉ अवैध होने की जानकारी प्राप्त हुई ।

7- यह कि उक्त ग्राम श्रीनगर की आराजी संख्या 1629/2 रकबा 2.185 हैक्टर भूमि मूल स्वामी खातेदार धूला पिता ऊंकार जी रेगर द्वारा अपने पौत्र वादी को वसियत कर देने से धूला जी की मृत्यु पश्चात विधि अनुसार वादी के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की हो गई, जिससे वादी उक्त भूमि को अपने खातेदारी हक की होने की घोषणा कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है ।

8- यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 से 4 को दिनांक 22/11/2018 को तहसील कार्यालय में चल कर उक्त भूमि वादी को वसियत की हुई होने से पुनः वादी के नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही बाबत कहॉ तो प्रतिवादी सं0 1 से 4 ने इंकार कर दिया जिससे वादी को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता हुई ।

9- यह कि वाद कारण दिनांक 22/11/2018 को प्रतिवादी सं0 1 से 4 द्वारा भूमि वसियत के आधार पर वादी के नाम कराने की कार्यवाही कराने से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है ।

10- यह कि वादी न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है:-

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कि जावे कि ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का ठुकराई तहसील बेगूं की वर्तमान आराजी संख्या 1629/2 रकबा 2.185 हैक्टर भूमि मूल स्वामी धूला रेगर द्वारा वादी के पक्ष में वसियत की हुई होने से वादी के खातेदारी हक की हैं एवं वादी उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है ।

(ब) कि अन्य कोई सहायता जो सुलभ वादी हौ प्रदान की जावे ।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 कि ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा द्वारा मय इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में जवाबदावा इकबाली होने से तनकीपत्र कायम न किये जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई, जिसमें वादी कि ओर से रामेश्वरलाल वादी स्वयं तथा गवाह देवीलाल, लाली के प्रस्तुत किये गये। वादी कि ओर से उपस्थित गवाह के बयान लेख बद्ध किये गये। इकबाली जवाब होने से जिरह नही की गई । वादी की साक्ष्य पुर्ण होने एवं प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य नही प्रस्तुत करने से पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। बहस में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित आए। वादी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का ठुकराई तहसील बेगूँ की वर्तमान आराजी सख्या 1629/2 रकबा 2.185 हे0 भूमि में नामान्तरण संख्या 1209 दिनांक 05.02.2018 से कन्हैयालाल पिता धुला के बजाय वादी रामेश्वरलाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 लीलाबाई, पुष्पाबाई, लालीबाई, पिता कन्हैयालाल एवं मगनीबाई पति कन्हैयालाल के नाम

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

खोला गया, जबकी पत्रावली में प्रदर्श-10 वसीयतपत्र अनुसार वादी रामेश्वरलाल अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत वसियत पत्र पर कोई आपत्ति नही की गई तथा वादपत्र अनुसार वाद अंतिम डिक्री किये जाने से सहमति व्यक्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज का अध्ययन किया । पत्रावली में प्रस्तुत वसीयतपत्र अनुसार एवं प्रतिवादीगण की सहमति होने से वादपत्र वादी का स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का ठुकराई तहसील बेगूँ की वर्तमान आराजी सख्या 1629/2 रकबा 2.185 हे0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 लीलाबाई, पुष्पाबाई, लालीबाई पिता कन्हैयालाल एवं मगनीबाई पति कन्हैयालाल का नाम हटाया जाकर, वादी रामेश्वरलाल पिता कन्हैयालाल रेगर का नाम उक्त आराजी में खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/9/2019

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला (चित्तौड़गढ़) राज०

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ

दावा संख्या :– 29/2019

रामेश्वरलाल पिता कन्हैयॉ लाल रेगर निवासी श्रीनगर तहसील बेगूँ

.....वादी

बनाम

1– लीलाबाई पिता कन्हैयॉलाल रेगर निवासी श्रीनगर हाल पत्नी जगदीशचन्द्र रेगर निवासी सवाईपुर तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2– पुष्पा पिता कन्हैयॉलाल रेगर निवासी श्रीनगर हाल पत्नी भैरूलाल रेगर निवासी फतहनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3– लालीबाई पिता कन्हैयॉलाल रेगर निवासी श्रीनगर हाल पत्नी रवामचन्द्र रेगर निवासी काछोला तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4– मगनीबाई पत्नी कन्हैयॉलाल रेगर निवासी श्रीनगर तहसील बेगूँ
5– राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ
6– तहसीलदार साहब भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूँ

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के0सी0 मंत्री की उपस्थित में एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा की उपस्थित में इस वाद को आज तारीख 27.09.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया, सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ के समक्ष अंतिम डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि:–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, मौजा श्रीनगर पटवार हल्का ठुकराई तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 1629/2 रकबा 2.185 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 लीलाबाई,पुष्पाबाई, लालीबाई पिता कन्हैयॉलाल एवं मगनीबाई पत्नी कन्हैयॉलाल का नाम हटाया जाकर वादी रामेश्वरलाल पिता कन्हैयॉलाल रेगर का नाम उक्त आराजी में खातेदारी हक से दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

यह डिक्री आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

27/9/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner